शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009से अभिप्राय एवं इससे सम्बंधित प्राबधानो का अध्यन

Saurabh Saxena[1], Dr. I M Singh[2]

Department of Education

[1,2]Shri Venkateshwara University, Gajraula (Uttar Pradesh) – India

सार

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ और राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त होने के तत्काल बाद इसे 1 अप्रैल, 2010 से लागू किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया। 86वां संशोधन भी जो भारत में 6 से 14 साल आयु–वर्ग के बच्चों को निःषुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के तौर पर उपलब्ध कराता है, उसी दिन अधिसूचित हुआ। ये यादगार घटनाएं थीं, तब भी जबकि शून्य से 6 से 18 साल के महत्वपूर्ण आयु–वर्ग का समावेश अधूरे एजेंडे के तौर पर बाकी है।इसकी न्याय योग्य धाराओं जिसके साथ राज्य के तीन वर्ष के अंदर प्रत्येक बच्चे को निर्धारित न्यूनतम गुणवत्ता युक्त नज़दीकी स्कूल उपलब्ध कराना अनिवार्य है। एक प्राधिकृत छात्र–शिक्षक अनुपात जिसका पालन हर स्कूल में किया जाएगा, सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय तौर पर प्राधिकृत योग्यताएं पांच वर्ष के अंदर प्राप्त करनी होंगी। शिक्षा, जो समावेशी भेदभाव रहित और सभी बच्चों के लिए समतामूल गुणवत्ता की होगी।

परिचय

भारत जैसे एक लोकतांत्रिक तथा बहुजन्संख्या वाले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा बच्चों तक शिक्षा पहुचाने के लिए एक महत्त्वपुर्ण कदम के तोर पर समझा जा रहा है। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चों को, बाल मजदूरों प्रवासी बच्चों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर ऐस` बच्चों को–जो सामाजिक, सांस् कृतिक, आर्थिक, भोगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारको की वजह से वंचित बच्चों में शामिल है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ ही यह उम्मीद भी है की इससे विदयालय छोड़ने तथा विदयालय ना जाने वाले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से दी जा सकेगी।

इसके लिए पहला कदम लोगों और कार्यान्वयन एजेंसियो को सूचित करना होगा। अधिनियम एक कानूनी दस्तावेज है जिसे पढ़ना या समझना आसान नहीं है। इसके अलावा कुछ इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं, जैसे इसमें इसे क्यों जोड़ा गया था और कुछ छूट क्यों गया अथवा किसी धारा या अनुच्छेद के पीछे किसी विचार या इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर आदि।इस अधिकार को लागु करना हम सभी जानते हैं की सरकार का एक प्रस्शंसनिय कार्य रहा हैं इस अधिकार के आने से सभी को मुख्य तौर पर वै बच्चे जो विद्यालयों से बाहर हैंए को फायदा मिल पायेगां सभी को फायदा देने के लिए सरकार ने किसी गैर सारकारी संस्था यएजंसियोंए कंपनीए एनजीओ इत्यादिद्ध को शामिल नहीं किया नहीं किया गया तथा साथ ही इनसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता भी नहीं लीं इससे ये गैर सरकारी संस्थायें अपने आर्थिक लाभ सिद्ध करने के लिए सरकार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकेंगीं अतः अब कानून बनाने अथवा उसमें संशोधन का जिम्मा सिर्फ सरकार के हात्थों में रह गयां यहाँ नगर निगमए पंचायत तथा अन्य सरकारी निगम ही भाग ले पायेंगें इसमें सुधार ताठा अधिकार को आगे बधाएने के लिए सुझाव देने या उसमें संशोधन का अधिकार में मदद कर सकते हैं यहाँ सरकार को विहित के तौर पर संबोधित किया हैं अर्थार्त इसमें सुधार तथा संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सकार यविहितद्ध को होगाए ताकि सभी बच्चों वर्षद्ध को अधिकार का पूरा.पूरा गुणात्मक लाभ मिल सकें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

भारतीय संविधान की धारा में निःषुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति–निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया गया था – राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की

आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःषुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। लेकिन लगभग 63 वर्ष बीतने के बाद भी यह काम नहीं हो पाया है।संसद ने 4 अगस्त, 2009 को बच्चों का निःषुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इसके साथ ही देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है। इस अधिनियम के बुनियादी प्रावधानों पर एक नजर : –

- यह ऐतिहासिक अधिनियम इस बात का प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा निःषुल्क और अनिवार्य रूप से पाने का अधिकार है।
- यह अधिनियम निःषुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के केन्द्र और राज्य सरकारों के दायित्व को रेखांकित करता है।
- निजी स्कूलों में गरीबों और वंचितों के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटों का आरक्षण जरूरी है। अधिनियम में हर तरह की विकलांगता से प्रभावित बच्चों की शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है।
- प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए।
- विद्यालयो के काम काज की निगरानी विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से की जाएगी।
- किसी भी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।
- शिक्षक–छात्र अनुपात सही रहना चाहिए।
- शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाए।
- स्कूल शिक्षकों को 5 साल के अंदर शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री प्राप्त करनी आवश्यक है।
- स्कूल की भौतिक सुविधाओं को सुधारा जाए।
- वित्तीय भार राज्य व केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।
- स्कूल और शिक्षकों के उत्तरदायियों की स्पष्ट व्याख्या की गई है।
- प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश दिये गये हैं।

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय/राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनिमय के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्थानीय प्राधिकार संबंधी प्रावधान

अध्याय 1 में धारा 2;ीद्ध में स्थानीय प्राधिकार का अर्थ है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, जिला परिषद, नगर पंचायत, पंचायत और कोई नाम हो सकता है और इसमें अन्य प्राधिकार और निकाय शामिल हैं जो कि कानून द्वारा स्कूलों पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सशक्त किया हो या कुछ समय के लिए किसी भी कानून के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकार की तरह किसी भी शहर, टाऊन या गाँव में हो सकता है।

अध्याय 3 में धारा 6 में है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार पड़ोस और अपने क्षेत्र की सीमाओं में, जहाँ पर स्कूल नहीं हैं, इस अधिनियम के लागू होने के तीन साल की अवधि में स्कूल स्थापित करेगा। अध्याय 3 में धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के कर्त्तव्य बनाये गये कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार प्रावधान करेगा कि–

- नि : शुक्ल और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराना।
- पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करना।

- यह सुनिश्चित करना कि कमजोर और वंचित वर्गों के साथ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में और उसे पूरी करने पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो।
- अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहने वाले 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकार्ड बनाए रखना।
- यह सुनिश्चित करना कि दाखिला का अनुवीक्षण, उपस्थिति और अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहने वाला प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे।
- विद्यालय भवन, शिक्षक और अधिनियम सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- अच्छी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मानक और प्रतिमानक के अनुसार उल्लिखित अनूसूची के अनुसार सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- प्रवासी परिवारों के बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करना।
- अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्कूलों की कार्यप्रणाली का अनुवीक्षण करना।
- एकेडमिक कैलेंडर का निश्चय करना।

धारा 21(1) स्कूल में एक स्कूल प्रबंध समिति का निर्माण किया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्राधिकार के चयनित प्रतिनिधि, स्कूल में दाखिल बच्चों के अभिभावक और संरक्षण और शिक्षक होंगे।

धारा 21(1) में कहा गया है कि स्कूल प्रबंध समिति निम्न कार्य करेगी :

- स्कूल की कार्यप्रणाली का अनुवीक्षण।
- स्कूल विकास योजना का निर्माण व सिफारिश करना।
- समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान उपयोग का अनुवीक्षण करना।
- दिये गये अन्य प्राधिकार कार्य करना।

धारा 21(1) के अनुसार, स्कूल विकास योजना उचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार बनाई व तैयार की गई योजनाओं और अनुदान के आधार पर बनाई जाएगी।

धारा 25(1) के अनुसार, यह अधिनियम लागू होने के छ : महीने के अंदर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र–शिक्षक अनुपात उल्लिखित अनुसूची के अनुसार प्रत्येक स्कूल में बनायी रखी जाए।

धारा 26 के अनुसार, स्कूल स्थापित करने वाली नियोक्ता प्राधिकार जो कि स्वामित्व, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समुचित सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है, शिक्षा व्यवस्था में जरूरी है जो कि योजना बनाने, निधि वितरित करने, प्रशासनिक नियम निर्देश बनाने, अकादमिक सहायता करने और स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया में निचले स्तर पर बहुत सहायता करेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण में स्कूल में कुल स्वीकृत पदों से दस प्रतिशत अधिक नहीं है।

अध्याय 7 में धारा 35(3) में कहा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन करने के लिए समुचित सरकार स्कूल प्रबंध समिति और स्थानीय प्राधिकार के लिए दिशा निर्देश बनायेगी और जो उचित समझे निर्देशन इस संबंध में देगी।

अध्याय 7 धारा 3 में कहा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन करने के लिए स्थानीय प्राधिकार स्कूल प्रबंध समिति के लिए दिशा निर्देश बनायेगी और जो उचित समझे निर्देशन इस संबंध में देगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना केन्द्रीय सरकार ने निःषुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाये हैं जिन्हें निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 कहा गया है।

भाग–2 विद्यालय प्रबंध समिति के नियमों में कहा गया है कि इस समिति की सदस्य संख्या का 75 : बालकों के माता–पिताओं या संरक्षकों में से होगा। शेष 25 : में से एक तिहाई सदस्य स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे, जिनका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

उक्त समिति, धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी,

अर्थात–

- अधिनिमय में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, माता–पिता और संरक्षक के कर्त्तव्यों को भी विद्यालय के आस–पास की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में संसूचित करना।
- धारा 24 के खंड (क) और खंड (घ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्ति करना।
- इस बात को मॉनिटर करना कि शिक्षकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों से भिन्न और शैक्षिक कर्त्तव्यों का भार न डाला जाए।
- विद्यालय में आस–पास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
- अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना।
- बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःषुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना।
- आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा के 4 उपबंधों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना।
- नि : शक्ताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मॉनिटर करना।
- विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना।
- विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना।

विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय विकास योजना तैयार करके अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

भाग 3–5(1) निःषुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अनुसार समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और प्रशिक्षण आयोजित करेगी।

भाग 4–1 (6) केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार और सथानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व में निम्न हैं–

1. आसपास के क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है, कक्षा 1 से 5 के बालकों के लिए एक किलोमीटर व कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाए।
2. समुचित सरकार या स्थानीय सरकार, जहाँ कहीं आवश्यक हो, उक्त विद्यालयों को प्रान्नत कर सकती है।
3. कठिन भू–भाग, भूस्खलनों, बाढ़ के जोखिम, कम सड़कों वाले स्थानों में इस तरहविद्यालय अविस्थित करें, जिससे ऐसे खतरों से बच सके।

4. यदि आस–पास के क्षेत्रया सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है तो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार विद्यालय में प्राथमिक शिक्षाप्रदान करने के लिए निः शुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओंजैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा।
5. सघन जनसंख्या वाले स्थानों में समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार, ऐसे स्थानों में 6–14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आस–पास के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार करेगा।
6. स्थानीय प्राधिकार आस–पास के ऐसे विद्यालयों का पता लगाएगा, जहाँ बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है और प्रत्येक आवास के लिए ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

ऐसी नि : शक्ता से ग्रस्त बालकों के संबंध में, जो उन्हें विद्यालय में पहुंचने से रोकती है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुँच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रतिबाधित न हो।

भाग 4(9) में दिया गया है कि निर्दिष्ट समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई भी बालक निःषुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःषुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन–सामग्रियों और वर्दियों के लिए हकदार होगा और नि : शक्ता से ग्रस्त कोई बालक निःषुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के अध्याधीन नहीं हो। किसी कमजोर वर्ग के किसी बालक और अलाभप्रद समूह के किसी बालक को कक्षा में, दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों, में सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में तथा शौचालयों या कक्षाओं की सफाई में अलग न रखा जाए या उसके विरुद्ध विभेद न किया जाए।

शिक्षा का अधिकार : समुचित सरकार

शिक्षा संविधान के तहत समवर्ती सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि दोनों केन्द्र व राज्य सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हैं, अधिनियम में समुचित सरकार से अभिप्राय या तो इन सरकारों से है या केन्द्र शासित प्रदेश की विधान मंडल (जैसे बिरेली) से है। सम्पूर्ण अधिनियम में 2(ए) में है।

बच्चे की आयु की परिभाषा

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस अधिनियम के अनुच्छेद 21–ए के द्वारा परिभाषित किया गया है। सरकार को ऐसा निर्णय करने के लिए स्पष्ट है कि इस अधिनियम को संसदीय अनुमोदन प्राप्त है। मूल अनुच्छेद 45 और उन्नीकृष्णन फैसले दोनों में आयु समूह 0–6 वर्ष है। किशोर न्याय अधनियम में 18 वर्ष तक बच्चे की आयु परिभाषित की है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.सी.) जिसमें भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, ने भी 0–18 वर्ष तक बच्चे की आयु को परिभाषित किया है। सिद्धान्त में किशोर न्याय अधिनियम में यह उल्लेख है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य हैं कि आयु को 0–18 तक परिभाषित किया जा सकता है। आर्थिक बाधा के दृष्टिगत वर्तमान अधिनियम 6–14 वर्ष तक के आयु समूह में सीमित है जैसा कि अनुच्छेद 21–ए में निहित है। 0–18 वर्ष तक बच्चे की आयु को परिभाषित करने के लिए अधिनियम में संशोधन हेतु जन–दबाव की आवश्यकता होगी।

स्थानीय प्राधिकारी

अधिनियम स्कूली शिक्षा को समुदाय (स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायती राज संस्थान व सरकार के बीच त्रि–खंडीय भागीदारी के रूप में देखता है। जैसा कि परिभाषा 2(एच) से साबित होता है, स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित करने का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करना है। किन्तु जैसा कि राज्यों में कई तरह की स्थितियाँ

मौजूद हैं। यह 'पद' लचीला है, और यह राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है कि वे समुचित स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचित करें।

उदाहरण के लिए झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पंचायत चुनाव अभी तक नहीं हुए है और पश्चिम बंगाल में पहले से ही प्राथमिक शिक्षा परिषद है जिसे स्थानीय प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसी प्रकार, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि मेघालय में जिला परिषदें हैं जिन्हें वे स्थानीय प्राधिकारी के रूप में रखना चाहें।

बिना माता–पिता या संरक्षक के बच्चों के बारे में अधिनियम

अनुच्छेद 2(के) बच्चे के माता–पिता को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 10 भी माता–पिता के, उनके बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कर्त्तव्य का उल्लेख करता है। किन्तु जैसा कि अनुच्छे 8 ख्व्याख्या (आई),, के तहत माता–पिता के बजाय राज्य पर दबाव बनाता है, समुचित सरकार को ही बिना माता–पिता की शिक्षा को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा।

विहित

जहाँ कहीं भी शब्द विहित आता है, यह बताता है कि समुचित सरकार नियम बनाएगी। तथा इसमें किसी गैर–सरकारी हस्तक्षेप की मनाही की जाती हैं सरकार यदी नियम बनाती है तो उसमें किसी बाहरी गैर–सरकारी संस्था का हस्तक्षेप या हित (आर्थिक लाभ) ना रखा जायेगां क्योंकि गैर–सरकारी संस्थाओं के हस्तक्षेप नियमों की बनावट ज्यादा गैर–सरकारी संस्थाओं के हितों को ज्यादा देखा जाएगां तथा बच्चों को शिक्षा का अधिकार उस प्रभाविकता से नहीं मिल पायेगा जिसका सपना आजादी के पहले से ही देखा जा रहा हैं। अतः गैर–सरकारी संस्थाओं का हस्तक्षेप कानून में बिल्कुल अवैध कर दिया गया हैं।

उपसंहार

प्रस्तुत शोध में शिक्षा के अधिकार और उससे संबंधित विचारों को स्थान दिया गया है। दरअसल शिक्षा मानव जीवन की आधार शिला है। मानव का विकास और उन्नयन शिक्षा पर ही निर्भर है, शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। जन्म के समय बालक पशुवत आचरण करता है उस समय वह अपनी मूल्य प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है। शिक्षा उसकी इन प्रवृत्तियों का उचित मार्गदर्शन करके परिपक्वता प्रदान करती है। बालक एवं उसके व्यवहार को उसके आचरण को, उसके क्रियाकलापों को उचित और समाजपयोगी बनाती है। शिक्षा उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा वह केवल अपने वातावरण से अनुकूलन करने में ही समर्थ नहीं होता वरन वातावरण और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है।

संदर्भ–ग्रंथ सूची

1. म.पवन(2015),''ऑनलाइन एप्लीकेशनः ब्राउसिंग सेंटरेस फ्लीस पूर पेरंट्स'', बेंगलुरू, इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, 9 फरवरी.
2. सी.अभिषेक (2015),''ऑनलाइन एडमिशन अंडर आरटीई टू स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 9, नागपुर, इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 फरवरी.
3. दिव्य हिमाचल (2014) : ''विद्यालय आए, खिचड़ी खाई कौन करवाए पढ़ाई'', 8 मार्च
4. दैनिक जागरण (2014) : ''सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव'', 18 जनवरी
5. पंजाब केसरी (2015) : ''देश की शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करें'', 01 जनवरी
6. जूलियट, अमिता (2010) : ''एजुकेशन एण्ड सर्व शिक्षा अभियान'', अप्रकाशित शोध, बिरेली विश्वविद्यालय, बिरेली दृ
7. वर्मा रीनू (2012), "प्रैसेप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स राईट टू ऐजुकेशन ऐक्ट", बिरेली विश्वविद्यालय, बिरेली , (370.3)।
8. नेहा सिंह (2011), "राईट टू ऐजुकेशन ऐक्ट ऐण्ड ईट्स ईम्पलिमन्टेशन इन स्कूल्स ऑफ डेल्ही", बिरेली विश्वविद्यालय, बिरेली , (370.3)